राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 8289/2024

राधेश्याम पुत्र श्री रामपुरा, उम्र लगभग 28 वर्ष, निवासी लोदी बड़ी बाईपास रोड वार्ड नंबर 23, पीपाड़ सिटी, जोधपुर (राज.)

----अपीलार्थी

बनाम

- राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान सरकार सचिवालय, जयपुर (राज.) के माध्यम से।
- 2. निदेशक (अराजपत्रित), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर।
- अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं निदेशालय, राजस्थान, जयपुर।
- 4. प्राचार्य एवं नियंत्रक, डॉ. एस.एन. मेडिकल कॉलेज, रेजीडेंसी रोड, जोधपुर। 5. अधीक्षक, उम्मेद अस्पताल, सिवांची गेट, जोधपुर (राज.)।

----प्रतिवादीगण

अपीलार्थी(गण) के लिए : श्री महिपाल सिंह देवड़ा

प्रतिवादी(गण) के लिए :

माननीय श्री न्यायमूर्ति अरुण मोंगा

निर्णय (मौखिक)

28/05/2024

- 1. याचिकाकर्ता की शिकायत अन्य बातों के साथ-साथ प्रतिवादियों की निष्क्रियता और निर्देश से उत्पन्न होती है, जिन्होंने दिनांक 31.07.2023 (अनुलग्नक 17) के आदेश के अनुसार याचिकाकर्ता के वास्तविक कार्य अनुभव के अनुसार उसे अपेक्षित बोनस अंक देने के लिए उसके अभ्यावेदन को खारिज कर दिया है। रविवार और छुट्टियों को उसके द्वारा काम की गई अवधि से बाहर रखा गया है। यह भी कहा गया है कि उसने कोई सबूत नहीं दिया है कि उसने लैब असिस्टेंट या लैब तकनीशियन के रूप में काम किया है या नहीं।
- 2. सबसे पहले प्रासंगिक तथ्य। याचिकाकर्ता ने 15.09.2013 से 14.01.2014 और 15.01.2014 से 14.07.2014 तक संविदा के आधार पर लैब तकनीशियन के रूप में काम किया। उन्होंने 29 मई,2018 को जारी विज्ञापन के बाद लैब सहायक के पद के लिए आवेदन किया। विज्ञापन में अनुभव के लिए बोनस अंक निर्दिष्ट

किए गए थे। याचिकाकर्ता ने 4 साल और 17 दिनों के अनुभव के साथ भी आवेदन किया। याचिकाकर्ता की पात्रता और कार्य अनुभव की लंबाई के अनुसार सही बोनस अंकों को उजागर करने वाले कई अभ्यावेदन के बावजूद,कोई ध्यान नहीं दिया गया। अंत में,31.07.2023 के आक्षेपित आदेश द्वारा, प्रतिवादियों ने याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन को खारिज कर दिया। इसलिए,यह रिट याचिका।

- 3. उपर्युक्त पृष्ठभूमि में, मैंने प्रतिद्वंद्वी तर्क सुने हैं और केस फाइल का अवलोकन किया है।
- 4. संविदा सेवा की अविध से रिववार और छुट्टियों को बाहर रखने के बारे में यहाँ उठाया गया विवाद अब प्रासंगिक नहीं है। सुरेश चौधरी बनाम राजस्थान राज्य और अन्य: एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 5694/2021 के मामले में इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा दिए गए निर्णय का संदर्भ लिया जा सकता है, जिसका प्रासंगिक भाग इस प्रकार है:-
 - 5. यह तथ्य कि याचिकाकर्ता को बोनस अंक नहीं दिए गए हैं, विवाद का विषय नहीं है। एकमात्र प्रश्न, जिस पर इस न्यायालय को निर्णय लेने की आवश्यकता है, वह यह है कि बोनस अंकों के उद्देश्य से अनुभव की गणना करते समय क्या साप्ताहिक अवकाश (रविवार) और राष्ट्रीय अवकाश आदि को बाहर रखा जा सकता है?
 - 6. इस प्रश्न के उत्तर के लिए किसी विस्तृत विचार-विमर्श की आवश्यकता नहीं है। श्रम कानूनों के अनुसार, सभी संगठनों/संस्थाओं/उद्यमों आदि को, चाहे वे सरकारी स्वामित्व वाले हों या निजी, साप्ताहिक अवकाश का पालन करना आवश्यक है या प्रत्येक कर्मचारी को एक साप्ताहिक अवकाश देने के लिए बाध्य हैं। यदि याचिकाकर्ता को प्रतिवादी द्वारा स्वयं साप्ताहिक अवकाश दिया गया था, तो ऐसे अवकाशों को छोड़कर उसके अनुभव को अति-तकनीकी रूप से नहीं गिना जा सकता है। याचिकाकर्ता के कार्य दिवसों की गणना 339 (324+15) दिन करने और ऐसी अवधि को वास्तविक कार्य दिवस मानने की राज्य की कार्रवाई स्पष्ट रूप से अवैध है और याचिकाकर्ता के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।
 - 7. यदि याचिकाकर्ता के वास्तविक कार्य दिवसों की संख्या में 53 साप्ताहिक अवकाश जोड़ दिए जाएं, अर्थात दो अनुभव प्रमाण पत्रों (अनुलग्नक 3) के अनुसार 339, तो याचिकाकर्ता के कार्य दिवसों की कुल संख्या 392 दिन हो जाती है, जो स्पष्ट रूप से एक वर्ष से अधिक है।
 - 8. रविवार या साप्ताहिक अवकाश प्रदान करना या अनुमित देना राज्य सरकार सिहत सभी नियोक्ताओं का वैधानिक कर्तव्य है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 13(1)(बी) और समय-समय पर उपयुक्त सरकार द्वारा जारी अधिसूचनाएं राज्य सरकार/नियोक्ता को कर्मचारी को हर सप्ताह एक सवेतन अवकाश देने का आदेश देती हैं। साप्ताहिक अवकाश की तुलना उस छुट्टी से नहीं की जा सकती, जिसे कर्मचारी स्वीकृत होने के बाद लेता है। ऐसा साप्ताहिक अवकाश संगठन द्वारा स्वयं दिया जाता है या कर्मचारी द्वारा मांगे बिना दिया जाना आवश्यक होता है। इसलिए, अनुभव की गणना करते समय या उम्मीदवार द्वारा काम किए गए दिनों की संख्या की गणना करते समय साप्ताहिक अवकाश के ऐसे दिनों को नहीं घटाया जा सकता। प्रतिवादी का रुख कानून के

विपरीत और मनमाना दोनों है, यह देखते हुए कि अनुभव की गणना राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम, 1965 के नियम 19 के अनुसार वार्षिक आधार पर की जानी है।

- 5. इस मामले के तथ्यों को देखने के बाद यह पता चलता है कि याचिकाकर्ता की स्थिति भी ऐसी ही है।
- 6. तदनुसार, मुझे कोई कारण नहीं दिखता कि याचिकाकर्ता को भी उपरोक्त निर्णय का लाभ क्यों न दिया जाए, ताकि उसे उसके द्वारा काम की गई अवधि के लिए रविवार और छुट्टियों को छोड़कर वास्तविक कार्य अनुभव के अनुसार अपेक्षित बोनस अंक दिए जा सकें।
- 7. इस न्यायालय द्वारा नरेन्द्र बरवाल बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य: एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 1669/2022 के मामले में दिए गए एक अन्य निर्णय के मद्देनजर, चाहे याचिकाकर्ता ने लैब सहायक या लैब तकनीशियन के रूप में काम किया हो, यह भी अप्रासंगिक है, जिसका निर्णय 05.05.2022 को हुआ। निर्णय के तात्पर्य से यह स्पष्ट है कि कार्य अनुभव चाहे लैब तकनीशियन या लैब सहायक (सहायक) के पद पर हो, यह महत्वहीन है, जब तक कि अभ्यर्थी ने प्रयोगशाला में काम किया हो, क्योंकि लैब सहायक और लैब तकनीशियन के कर्तव्य प्रकृति में समान हैं। उपरोक्त निर्णय का अवलोकन करने के पश्चात, मैं अपने विद्वान भाई अरुण भंसाली जे. (जैसा कि वे उस समय इस न्यायालय में थे) द्वारा व्यक्त किए गए विचारों से सम्मानपूर्वक सहमत हूँ।
- 8. मेरी राय में, इस रिट याचिका को पूर्वोक्त निर्णयों के समान ही स्वीकार किया जाना चाहिए, भविष्य में आने वाले परिणामों के साथ।
- 9. परिणामस्वरूप, दिनांक 31.07.2023 (अनुलग्नक-17) का आक्षेपित आदेश, जिसके तहत याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व खारिज कर दिया गया था, रद्द किया जाता है। प्रतिवादियों को याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी पर विचार करने और उसे पात्रता के अनुसार बोनस अंक देने तथा उसके प्रदर्शन का पुनर्मूल्यांकन करने का निर्देश दिया जाता है।
- 10. अंत में, मैं यहां यह जोड़ना चाहूंगा कि याचिकाकर्ता को दी गई राहत प्रतिवादियों द्वारा उसके कार्य अनुभव की अविध के साथ-साथ उसके इस दावे के सत्यापन के अधीन है कि उसने लेब तकनीशियन के रूप में काम किया था। यदि यह पाया जाता है कि वह लेब तकनीशियन के रूप में काम नहीं कर रहा था, तो वह नरेंद्र बरवाल बनाम राजस्थान राज्य और अन्य: एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 1669/2022 में दिए गए निर्णय के लाभ का हकदार नहीं होगा, जिसका निर्णय 05.05.2022 को हुआ।
- 11. याचिकाकर्ता द्वारा तत्काल आदेश की वेब प्रिंट के साथ प्रतिवादियों से संपर्क करने के 30 दिनों के भीतर आवश्यक कार्रवाई की जानी चाहिए।
- 12. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का भी निपटारा किया जाता है।

(अरुण मोंगा),जे

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है।

अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा मे अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा एवं निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।